ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 2620 /जी0एस0(शिक्षा)/C13-2/2014
दिनांक : 12 अक्टूबर, 2022

आदेश

डा0 अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार द्वारा पत्र संख्या 176, दिनांक 06–10–2022 के माध्यम से किये गये पदत्याग के अनुरोध के क्रम में उनका त्यागपत्र दिनांक 12–10–2022 की अपराह्न से एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार विश्वविद्यालय में लागू उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथाप्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(6) एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2014 के परिनियम–4(तीन)(ख)(a)(सात) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत **प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा अपने कार्यदायित्वों के साथ–साथ दिनांक 12–10–2022 से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के पद के दायित्वों का भी निर्वहन किया जायेगा।**

ह०/–
ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : 2620 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/C13-2/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा० अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वी०च०सिं०ग०उ० औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति–वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल। ✓

आज्ञा से,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।